फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ,जिला जयपुर

बंशीधर   बनाम   हरीसिंह वगै0

मुकदमा नम्बर 187/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01-09-2025	प्रार्थी के अभि0 श्री विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी के अभि0 को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी के अभि0 ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के तर्को पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक इस अम्र की जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 315 ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर स्थित मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 12/09/2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए) की पालना प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा की जावें। आदेश 39 नियम 3(ए) की पालना नही करने पर जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः नि प्रभावी समझी जावेगी। आगामी पेशी से पूर्व अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी से करवाई जाकर, रजि0 एडी मय ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते तलवी हेतु दिनांक 03/10/2025 को पेश हों। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जयपुर	
3/10/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप0 नहीं। वकील प्रार्थी को न्यायालय समय मे पुकार-पुकार तीन बार आवाज लगवाई गई के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जयपुर	